संख्या-562/22-4-2010-48(54)/2000

प्रेषक,

एन0 के0 सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उ0प्र0,लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक 31 मई, 2010

विषयः- महानिरीक्षक, कारागार को रु0-50.00 लाख तक के क्रयादेश की अनुमति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लघु उद्योग विभाग के शासनादेश संख्या-344/18-5-2003-76 (एस0पी0)/86 दिनांक-10.03.2003 द्वारा विभागाध्यक्षों को एक समय में रुपये-10.00 लाख की सीमा तक मूल्य की वस्तुओं के क्रय की अनुमति प्रदान की गयी है। कारागार विभाग में चल रहे उद्योगो हेतु कच्चे माल एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं/सामग्रियों को एक निश्चित समयसीमा के भीतर क्रय किए जाने की आवश्यकता होती है। अधिकांश क्रय रूपय-50.00 लाख की सीमा तक के होते हैं। अतः सम्यक् विचारोपरान्त कारागार विभाग के लिए वस्तुओं/सामग्रियों के क्रय की प्रक्रिया को सुगम एवं सरल बनाये जाने के दृष्टिगत महानिरीक्षक, कारागार की वर्तमान क्रयाधिकार सीमा रुपये-10.00 लाख को बढ़ाकर रु0-50.00 लाख किए जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- महानिरीक्षक, कारागार सामग्रियों के क्रय हेतु उपरोक्त अधिकार का प्रयोग करते समय स्टोर परचेज से सम्बन्धित नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

भवदीय,

(एन0 के0 सिंह)
विशेष सचिव ।

संख्या-562 (1)/22-4-2010तद दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रमुख सचिव, लघु उद्योग विभाग/वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. निदेशक, उद्योग, उत्तर प्रदेश कानपुर।
3. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम व द्वितीय तथा लेखा परीक्षा प्रथम व द्वितीय उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
4. वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12
5. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(सत्य प्रकाश पंखा)
अनु सचिव ।